117

CANCELLED. CANCELLED. CANCELLED.

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर कैम्प–सागर (म.प्र.)

A 7050-III/2015

गौर एंड सुहाने एसोसिऐट, सागर

द्वारा– पार्टनर

1– श्री वीरेन्द्र सिंह पिता शंभूसिंह गौर
साकिन प्रभाकरनगर मकरोनिया, सागर

2– श्री सुरेन्द्र सुहाने पिता गोकुल प्रसाद सुहाने

---- अपीलार्थी

12 6 OCT 2015

बनाम

म.प्र.शासन

द्वारा– श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, सागर

---- प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 47 क (6) म.प्र. स्टाम्प अधिनियम

अपीलार्थी यह अपील अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय सागर के प्रकरण क्रमांक 124/व–105/13–14 से परिवेदित होकर अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करता है ।

प्रकरण के तथ्य

(क) अपीलार्थी का नाम – गौर एण्ड सुहाने एसोसिऐट,
पार्टनर – 1– वीरेन्द्र गौर वल्द शंभूसिंह गौर
2– सुरेन्द्र सुहाने वल्द गोकुलप्रसाद सुहाने
3– विजय कुमार वल्द कृपाशंकर भट्ट

(ख) लिखित के निष्पादक का नाम – विजय कुमार भट्ट वल्द श्री कृपाशंकर भट्ट

(ग) लिखित के दावेदार का नाम – गौर एंड सुहाने एसोसिऐट

(घ) लिखित की तारीख एवं प्रकार – 30–03–2013 बिक्री पत्र

(च) संपत्ति का विवरण – मौजा सागर खास पटवारी हल्का नंबर 65 स्थित भूमि खसरा नंबर 296/3 रकवा 0.113 हेक्टेयर यानी 0.28 डिसमिल

(छ) अपर कमिश्नर के आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई – 21–09–2015

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 7050-II/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. ऐसा करने पर मैं यह पाता हूँ कि विद्वान अपर आयुक्त ने उन आधारों का अपने आदेश में उल्लेख कर उनपर विचार किया जो आवेदक द्वारा रा मं के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं. अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि २१-९-१५ स्व-स्पष्ट और बोलते स्वरुप का है जिसमे निष्कर्ष के आधार स्पष्ट रूप से अभिलिखित किये गए हैं. इस आदेश में अपर आयुक्त की विवेचना से यह स्पष्ट है कि आवेदक के तर्क सही नहीं हैं और वह केवल शासकीय देयताओं से बचने के लिए वरिष्ठ न्यायालय रा मं में यह अपील दायर करना चाह रहा है. मैं आवेदक के तर्क के बिन्दुओं को, जो कि अपील मेमो में लिखे हैं, और अपर आयुक्त की विवेचना के बिन्दुओं , जो कि उनके आक्षेपित आदेश में लिखे हैं, विचार में ले रहा हूँ, किन्तु उनके अभिलेख में विद्यमान होने की वजह से उन्हें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ. उपरोक्त के प्रकाश में मैं यह अपील आवेदन रा मं में ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं पाता हूँ और उसे अग्राह्य एवं अस्वीकार करते हुए यह प्रकरण रा मं से समाप्त करता हूँ. आदेश पारित. पक्षकार सूचित हों. प्रकरण समाप्त. दा द हो. (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	